उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 13/2011–12

अंजू देवी ....अपीलकर्ता

बनाम

16/– रैयत मौजा बिरनिया ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

13/05/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 13/2011–12 अंजू देवी, पति अवधेश राउत, सा0 जामजोरी बनाम् 16/– रैयत मौजा बिरनिया, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 194/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। उत्तरकारी 16/– रैयतों को नोटिस का तामिला के पश्चात भी उनके ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं थे। फलतः उनके ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बिरनिया के दाग सं0126 परती कदीम दाग में मौजा के प्रधान भोला नाथ मंडल द्वारा एक बीघा जमींन की बन्दोबस्ती बंगला साल 5 माघ 1979 में किया गया है। उक्त जमींन को उनके द्वारा खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है तथा लगान का भी भुगतान किया जा रहा है। उनके द्वारा उक्त जमींन का सीमांकन हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु अनुशंसा किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान द्वारा दिया गया पट्टा को कोई प्रमाण कार्यालय को उपलब्ध नहीं रहने के कारण तथा लम्बी अवधि बीत जाने के कारण सीमांकन की स्वीकृति नहीं दिया गया है एवं अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन को खारीज किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अंचल अमींन के माध्यम से अपीलकर्त्ता के साथ किया गया सीमांकन को स्वीकृत करने का अनुशंसा किया गया है। अमींन का प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का शांतिपूर्ण दखल किया जा रहा है तथा नापी के समय किसी प्रकार का विरोध ग्रामीणों द्वारा नहीं किया। आवेदित दाग नं0 अपीलकर्त्ता के जमाबन्दी जमींन से सटा हुआ है एवं कुछ अंश अपना जमींन में मिलाकर जोत आबाद कर रही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को प्रधान द्वारा प्राप्त बन्दोबस्ती जमींन पर खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है एवं मौजा के किसी भी रैयतों का आपत्ति नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।